

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली।

रविन्द्र कुमार, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)



मोबाईल नं०-8544412079
हाजीपुर, वैशाली- 844102

कार्यालय आदेश

निम्नांकित प्र०शि० द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रसारण के आलोक में दूरस्थ के माध्यम से योग्यता विस्तार हेतु नामांकन/परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति की मांग की गई है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वि०अ०/वि०शि०/प्र० अ० का नाम	विद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	सत्र	विषय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	चौदनी कुमारी प्र०शि०	न०प्रा०वि० मझौली नंद राय के टोला	विवेकानन्द सुभारती	2026-28	स्नातकोत्तर	
2	राकेश कुमार प्र०शि०	नव० प्रा० वि० मोजार चक, हाजीपुर	स्वामी विवेकानन्द सुभारती	2026-28	स्नातकोत्तर	

अतः उपरोक्त प्र०शि० को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से योग्यता विस्तार हेतु नामांकन/परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि अनुमति के पश्चात ही योग्यता विस्तार हेतु नामांकन करायेगे। नियुक्ति से पूर्व यदि नामांकन/निबंधन कराये हुए है तो घटनोत्तर स्वीकृति माना जाएगा। संबंधित विद्यालय के प्र०अ०/प्र०प्र०अ० आश्वस्त हो लेंगे कि इनके दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने से विद्यालय में छात्र/छात्राओं का पठन-पाठन कार्य प्रभावित नहीं हो।

भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर इसकी सारी जबाबदेही संबंधित विद्यालय अध्यापक की होगी। साथ ही योग्यता विस्तार के क्रम में आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेने हेतु इन्हें अलग से कोई अवकाश देय नहीं होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक नियमानुसार आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराकर ही परीक्षा में भाग लेंगे।

६०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक: 1280 / हाजीपुर, दिनांक: 20/06/26
प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, वैशाली/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/संबंधित विद्यालय अध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.6.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।